दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/3/17	वकील वादी हाजिर / नक्शा कुरेजात तलब रहे / तलब किया जावे दि० 25/4/17 को पेश हो / सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)	
25/4/17	वकील वादीगण व प्रति० मुल्जा / नक्शा कुरेजात प्राप्त शामिल मिसल रहे / पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/5/17 को पेश हो / सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	
25/5/17	वकील वादीगण व प्रति० मय पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय कैम्प कोर्ट शिविर 110 न्याय आपके द्वार 2017 मुकाम ग्राम पंचायत अरवेपुरा में पेश हुए / बहस अंतिम पक्षकारान सुनी गयी / वादीगण का वाद मुताबिक नक्शा कुरेजात मोहिन डिक्री किया जाता है / निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल रहे / पर्चा डिक्री जारी हो / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो / सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 28/2016
वाद दायरी दिनांक : 02/03/2016
निर्णय दिनांक : 13/02/2017

1. सुमेर देवी धर्मपत्नी सुबेदार मेहरचन्द गोदारा, जाति जाट, निवासी सी 1146, मेहर भवनशंकर कॉलोनी, वी.के.आई. के पास, रोड नं. 14, अपना गांव होटल रोड, जयपुर।
2. ममता धर्मपत्नी रणवीर सिंह, जाति जाट, निवासी दयाल का नांगल, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राज0।

–– वादीगण

वनाम

1. गीतांजली सिंह पुत्री श्री अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ए 1 रवि टेरेस नीयर रिलायंस प्रेस कात्रज, पुणे, महाराष्ट्र
2. तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

–– प्रतिवादीगण

वाद विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
श्री मोहित कुमार सैन
विद्वान अधिवक्ता वादीयागण

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/02/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 आराजी खतौनी संख्या 36 के आराजी खसरा नम्बर 1367 रकबा 1.2800 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा

Scanned by CamScanner

1.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम अखैपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, उक्त आराजीयात वादीयागण एवं प्रतिवादीया की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात है, जिसमें वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक जमाबन्दी में अपने दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उपर्युक्त विवादित आराजीयात वादीयागण एंव प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व रिकार्ड अविभाजित आराजीयात है, जिसका विधिवत तकासमा नही हो रखा है, प्रतिवादीगण संख्या 1 की नीयत में फितुर उत्पन्न हो गया है, वह बसाज अन्य मददगारान वादीयागण के 51/128, 51/128 हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है व हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है तथा मनचाहे हिस्से पर कब्जा करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात पर मनचाहे रूप से कब्जा करना चाहती है वादीया को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं। विवादित आराजीयात अविभाजित आराजीयात है, जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि में हिस्सा व हक निहित है तथा बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये किसी भी हिस्सेदार को बेदखल करने का हक हासिल नही है। प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के रास्ते की तरफ कब्जा कर बिना तकासमा बेचान करने पर आमादा हैं। वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदार है वादीया सुमेरदेवी व ममता दोनो आपस मे रिश्तेदार है। खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 1367 का रकबा 1.28 हैक्टेयर बारानी 3 है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 गीतांजली सिंह मात्र 01 बीघा लगभग की खातेदार है वादीयागण की जमीन का तकासमा एक ही जगह कर दिया जाये जिससे प्रतिवादी व वादीयागण को अपने हिस्से का उपजाउ व उन्नत बनाने के लिए भविष्य मे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही आवे। उक्त प्रकार से विभाजन किया जाना आवश्यक हैं। अभी हाल ही में दिनांक 20/02/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधी दीगर व्यक्तियों के साथ विवादित आराजीयात पर आये एवं वादीयागण की आराजीयात को दिखा रही थी, जिस पर वादीयागण द्वारा उक्त जमीन का विधिवत तकासमा करवाये बगैर बेचान नही करने की बात कही तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि बिना तकासमा ही हम उक्त आराजीयात को बेचान कर तुम्हें बेदखल किया जावेगा, जिससे वादीयागण को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

Scanned by CamScanner

वादीयागण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीयागण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के मद नम्बर 1 का वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद–पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित अनुसार तकासमा किया जाकर अलहदा–अलहदा किया जावें। डिक्री की पालनार्थ हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 07/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की तामिल जरिये अखबार साया करवाने के आदेश दिये गये। दिनांक 23/01/2017 को वादीयागण ने प्रतिवादी संख्या 1 की अखबार साया की प्रति पेश की, जो शामिल मिसल की गयी। दिनांक 31/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 अखबार साया तामिल के बावजूद भी उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है, जिसकी ओर से पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीयागण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीयागण की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 36 के अनुसार विवादित आराजीयात की वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात के वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद अखबार साया तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही कोई आपत्ति पेश हुयी, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है, इसलिये उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीयागण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का विधिवत रूप से विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Scanned by CamScanner

अतः वादीयागण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 36 के आराजी खसरा नम्बर 1367 रकबा 1.2800 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम अखैपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला-जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

प्रारम्भिक डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) प्रथम, जिला जयपुर
श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

[illegible] धापा पत्नी स्व0 [illegible] बनाम 1. गोविन्दा सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह [illegible] [illegible] ... राजपूत [illegible] [illegible] [illegible]

मुकदमा नं. 28/2016

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेन्द्र शर्मा, श्री मोहित [illegible] तहसीलदार मौजमाबाद [illegible] मौजमाबाद

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित खाता क्र. 36 की आराजी ख.नं. 1367 रकबा 1.2800 हे0 कुल रकबा 1.2800 हे0 वाके ग्राम [illegible], तह0 मौजमाबाद जिला [illegible] में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 1 का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (कुल) का विभाजन कर [illegible] जाकर रकबा अलहदा-अलहदा किया जाता है।

... तक ... को अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/07/2017 माह ... सन ... को दी गई।

दस्तखत (सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) प्रथम)

ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner